

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 45/2021

अनवान

तारीख 21.09.2021

मनीष पिता गुलाबो जाति कंजर उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता हीरा पत्नि गुलाबो पेशा कृषि निवासी रूगनाथपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पिता रतना जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राधाकिशन पिता खेजड़िया जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. देवा पिता ईश्वर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रामरतन पिता सत्या जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजकंवर पिता सत्या जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :30/11/2021

प्रार्थना पत्र मनीष पिता गुलाबो जाति कंजर उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता हीरा पत्नि गुलाबो पेशा कृषि निवासी रूगनाथपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा जलीन्दी पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 235 पर अंकित आराजी संख्या 17 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 37 रकबा 2.1044 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.4362 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान काँ... में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा जलीन्दी पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 235 पर अंकित आराजी संख्या 17 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 37 रकबा 2.1044 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.4362 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रुपयें वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



18  
प्रशासन (सीमा) विवाद-2021  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ